न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 156 / 2020

अनवान : –

1. पाना कंवर पुत्री गुटूसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. कैलाश पुत्र गुटूसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. कानसिंह पुत्र गुटूसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. बलवीर पुत्र गुटूसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र गुटूसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. महावीर सिंह पुत्र गुटूसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. महावीर सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
श्री महेशसिंह राठोड़ अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 26/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 37 / 36 की कुल 10.3700 हैक्ट भूमि में से 21 / 2074 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 व 432 / 5185 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 2 के व 432 / 5185 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 3 के व 432 / 5185 हिस्सा गैरसायल स0 4 के व 253 / 5185 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता स0 644 / 543 की कुल 4.0480 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 1 ता 4 प्रत्येक 1 / 12 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता स0 20 / 20 की कुल 7.0840 हैक्ट भूमि में से 843 / 70840 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के व 5903 / 70840 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 3 के व 738 / 8855 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 4 के व 1 / 14 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान के पिता गुटूसिंह का स्वर्गवास हो चुका है तथा रोही मौजा 5 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2035–37 के खाता स0 11 की कुल 41 बीघा भूमि में 1 / 3 हिस्सा भूमि सायलान के के मृतक पिता गुटूसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड था जिसका विरासन नामान्तरण प्रतिवादी स0 1 ता 4 के [illegible] किया जिसमे से गैरसायल स0 1 कानसिंह ने अपने हिस्से की 3 बीघा भूमि कानकवर को जरिये बैयनामा दि[illegible] 07.06.1994 को बेचान कर दिया जिसका इन्तकाल स0 128 दिनांक 07.07.1995 को मजुर हुआ कान कंवर की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त भूमि गैरसायल स0 5 महावीरसिंह पुत्र कानकंवर को प्राप्त हुई जिसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

इन्तकाल संख्या 15/2 मंजुर हुआ तथा गैरसायल 1 ने अपने हिस्से में से 2 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 21.01.2003 को गैरसायल स0 5 महावीर सिंह पुत्र भैरूसिंह को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरण संख्या 202 स्वीकृत हुआ तथा रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2061–64 के खाता स0 78 की कुल 4.049 हैक्ट भूमि में से सायलान के मृतक पिता के नाम 1/3 हिस्सा भूमि दर्ज थी जो की विरासतन गैरसायलान संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज हुई जिसका इंन्तकाल संख्या 189 मंजुर हुआ। गैरसायल संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा से ज्यादा भूमि का बेचान किया है तथा गैरसायल स0 1 ता 5 के नाम हक हिस्सा से अधिक भूमि दर्ज है तथा अब अपने नाम दर्ज भूमि को बेचान करने की फिराक में है जिससे सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायल को पाबन्द किया जावे की उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 4 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 20/20 व रोही मौजा 5 केएनएन के खाता स0 37/36 व रोही मौजा 3 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 644/543 मे गैरसायल स0 1 ता 5 के नाम दर्ज भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि में प्रार्थी के हिस्सा के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गुटूसिंह के देहान्त के बाद वाद भूमि अप्रार्थी स0 1 ता 4 के नाम सन 1978 में जरिये विरासतन दर्ज हुई है। गैरसायल 5 की माता द्वारा चक 5 केएनएन में गैरसायल स0 1 से 3 बीघा भूमि खरीद की गई थी रोही मौजा 4 केएनएन की कृषि भूमि में गूटूसिंह के फौत होने के बाद गैरसायल से उसके हक हिस्सा की भूमि में से मात्र 2 बीघा भूमि खरीद की गई थी गैरसायल स0 5 अपनी खरीद शुदा भूमि के उपयोग व उपभोग हेंतु स्वतंत्र है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि गैरसायल स0 1 द्वारा अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान किया गया है जबकि प्रार्थीगण का भी उक्त भूमि में हक हिस्सा जबकि अप्रार्थी का कथन है कि गैरसायलान के नाम उक्त भूमि 1978 में [illegible] है एवं गैरसायलान ने अपने हक हिस्सा की भूमि में से सिर्फ 2 बिघा भूमि [illegible] प्रस्तत नामान्तरण की चित्रप्रत के मुताबिक गैरसायलान के नाम 1978 में जरिये [illegible]सतन नामान्तरण भूमि दर्ज हुई है। इतने वर्षो बाद सायला द्वारा ऐतराज जाहिर किया गया है जो की न्यायोचित नही है, उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:26 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 26.11.2020 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 26/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:52:26 IST
Reason: SelfAttested